न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

FORM-A

IN THE COURT OF EXCLUSIVE SPECIAL JUDGE, EXCISE, SHEOHAR
Present:- Sri Brijesh Mani Tripathi, Exclusive Special Judge, Excise,
(Date of Judgment:- 28.03.2026)
Excise No-59/2017, Registration No.BRSO010000042017
Sheohar P.S. Case No.-59/2017,
Offence:- U/s- 30(a) of Bihar Prohibition and Excise Act.
District-SHEOHAR.

COMPLAINANT	बिनय कुमार, पु0अ0नि0, शिवहर थाना, जिला–शिवहर।
ACCUSED	शम्भु साह, पिता–स्व0 कोदई साह, उम्र–46 वर्ष साकिन–बसन्त गढ़वा, थाना–पुरनहिया, जिला–शिवहर
REPRESENTED BY COMPLAINANT	श्री दिलीप कुमार, विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSONS	श्री उपेन्द्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

Date of Offence	22-04-2022
Date of F. I. R.	22-04-2022
Date of Charge sheet	19-06-2017
Date of Cognizance	01-09-2017
Date of Framing Charges	18-01-2019
Date of Commencement of Evidence	23-09-2019
Date of which judgment is reserved	19-03-2026
Date of judgment	28-03-2026
Date of the Sentencing order, if any	

28/03/26

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	शम्भु साह	23-04-2017	28-06-2017	U/s- 30(a) Bihar Prohibition and Excise Act.	Acquitted		

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	हरि मोहन प्रसाद गुप्ता	अ0सा0सं0–01
02.	जयराम सिंह	अ0सा0सं0–02
03.	रघुनाथ पासवान	अ0सा0सं0–03
04.	अलवेश्वर राम	अ0सा0सं0–04
05.	विनय कुमार	अ0सा0सं0–05 (सूचक)

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–1	मालखाना पंजी के कम सं0 18, एम.आर.नं. 15–16 पर शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017 का विवरण।
2.	प्रदर्श–2	जप्ती सूची पर साक्षी जयराम सिंह द्वारा अपने हस्ताक्षर की पहचान।
3.	प्रदर्श–2/1	जप्ती सूची पर साक्षी रघुनाथ पासवान द्वारा अपने हस्ताक्षर की पहचान।
4.	प्रदर्श–3	विधि प्रयोगशाला द्वारा दिये गये प्राप्ति रसीद पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
5.	प्रदर्श–4	परिवहन पदाधिकारी शिवहर के यहॉ जप्त गाड़ी के विवरण हेतु दिया गया आवेदन
6.	प्रदर्श–5	प्रतिवेदन पर डी0टी0ओ0 का रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर
7.	प्रदर्श–6	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जॉच हेतू न्यायालय में दिया गया आवेदन की कार्बन कॉपी
8.	प्रदर्श–7	लिखित आवेदन
9.	प्रदर्श–8	जप्ती सूची
10.	प्रदर्श–9	लिखित आवेदन का पृष्ठांकन
11.	प्रदर्श–9/1	औपचारिक प्राथमिकी
12.	प्रदर्श–10	गाड़ी के संबंध के डी0टी0ओ0 का प्रतिवेदन
13.	प्रदर्श–11	आर.एफ.एस.एल रिर्पोट
14.	प्रदर्श–एम.	वस्तु प्रदर्श
15.	प्रदर्श–एम.1	वस्तु प्रदर्श
16.	प्रदर्श–एम.2	वस्तु प्रदर्श
17.	प्रदर्श–एम.3	वस्तु प्रदर्श

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	–	–

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION

20/03/26

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्त 1. शम्भु साह के विरूद्व दिनांक–18.01.2019 को अंतर्गत धारा–**30 (a)** बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 के तहत आरोप का गठन किया गया और अभियुक्त का उपरोक्त धारा के अंतर्गत विचारण किया गया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–22.04.2017 समय करीब 06:00 बजे संध्या में सूचक बिनय कुमार, पु0अ0नि0, शिवहर थाना को गुप्त सूचना मिली कि एक पुराना काला रंग

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

रजि0 नं0 बी.आर.55 1862 मोटर साईकिल पर सवार एक आदमी शिवहर से फतेहपुर की ओर जा रहा है। उक्त सूचना पर सूचक फतेहपुर चौक पर पहुँचकर उक्त वाहन का इंतजार करने लगे। इसी बीच एक मोटरसाईकिल पुलिस का मोनो लगाये आते हुए दिखाई दिया जिसे पुलिस के द्वारा रूकने को कहा गया तो वह मोटरसाईकिल को घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे साथ के पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम–शंभु साह, पिता–स्व0 कोदाई साह, सा0–बसंत गढ़वा, थाना–पुरनहिया, जिला–शिवहर बताया। दो स्थानीय स्वतंत्र साक्षी 1. जयराम सिंह एवं 2. रघुनाथ पासवान के समक्ष उक्त मोटरसाईकिल की तलाशी ली गई तो गाड़ी के डिक्की में से 300 एम.एल. का 18 बोतल तथा गाड़ी के हैण्डल से 300 एम.एल. का 22 बोतल कुल 40 बोतल देशी शराब बरामद हुआ। उक्त गाड़ी को जप्त किया गया तथा जप्त सभी समानों की जप्ती सूची बनाई गयी तथा उसपर दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अपना–अपना हस्ताक्षर किया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

03. उपरोक्त नामित अभियुक्त शम्भु साह के विरूद्व अभियोजन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दिनांक–01.09.2017 को अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त को अभियोजन प्रतिवेदन प्राप्त कराने के पश्चात् दिनांक–18.01.2019 को अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोप का गठन किया गया, जिसे अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं वाद विचारण की मॉग किया।

28/03/20

04. उपरोक्त अभियुक्त का बयान दिनांक–07.03.2020 को धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत हिन्दी में अभिलिखित किया गया। उपरोक्त अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा झूठा फंसाये जाने की बात कहा।

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में आरोप–पत्र के कॉलम–13. में वर्णित कुल चार साक्षियों में से चारो साक्षियों को साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अ0सा0सं0–01 विनय कुमार (सूचक), अ0सा0सं0–02 जयराम सिंह, अ0सा0सं0–03, रघुनाथ पासवान तथा अ0सा0सं0–4 अलवेश्वर राम हैं।

07. दस्तावेजी साक्ष्य एवं वस्तु प्रदर्श के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो निम्नवत है–

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–1	मालखाना पंजी के क्रम सं0 18, एम.आर.नं. 15–16 पर शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017 का विवरण।
2.	प्रदर्श–2	जप्ती सूची पर साक्षी जयराम सिंह द्वारा अपने हस्ताक्षर की पहचान।
3.	प्रदर्श–2/1	जप्ती सूची पर साक्षी रघुनाथ पासवान द्वारा अपने हस्ताक्षर की पहचान।
4.	प्रदर्श–3	विधि प्रयोगशाला द्वारा दिये गये प्राप्ति रसीद पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
5.	प्रदर्श–4	परिवहन पदाधिकारी शिवहर के यहॉ जप्त गाड़ी के विवरण हेतु दिया गया आवेदन
6.	प्रदर्श–5	प्रतिवेदन पर डी0टी0ओ0 का रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर
7.	प्रदर्श–6	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जॉच हेतू न्यायालय में दिया गया आवेदन की कार्बन कॉपी
8.	प्रदर्श–7	लिखित आवेदन
9.	प्रदर्श–8	जप्ती सूची
10.	प्रदर्श–9	लिखित आवेदन का पृष्ठांकन
11.	प्रदर्श–9/1	औपचारिक प्राथमिकी
12.	प्रदर्श–10	गाड़ी के संबंध के डी0टी0ओ0 का प्रतिवेदन
13.	प्रदर्श–11	आर.एफ.एस.एल रिर्पोट
14.	प्रदर्श–एम.	वस्तु प्रदर्श
15.	प्रदर्श–एम.1	वस्तु प्रदर्श
16.	प्रदर्श–एम.2	वस्तु प्रदर्श
17.	प्रदर्श–एम.3	वस्तु प्रदर्श

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION

28/03/26

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. अभियोजन साक्षी संख्या–5 विनय कुमार (सूचक) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते है कि दिनांक–22.04.2017 को शिवहर थाना में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज शाम 6 बजे थाना पर ओ0डी0 ड्यूटी में थे। सूचना मिला एक मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0–बी.आर.55 1862 पर सवार व्यक्ति संदेहास्पद समान लेकर मथुरापुर की ओर जा रहा है, शिवहर से। पुलिस बल के सहयोग से उस उक्त मोटरसाईकिल नं0 का खोजबीन करते हुए छापामारी किया गया तो मथुरापुर के पास उस मोटरसाईकिल चालक को देखकर रोका गया नाम पता पूछा गया। उसने अपना नाम शंभु साह बताया। वहॉ पर उपस्थित हुए ग्रामीणों के सहयोग से शंभु साह का जमा तलाशी लिया गया तो उसके मोटरसाईकिल के डिक्की में 18 बोतल देशी शराब 300 एम.एल. मात्रा बाला बरामद हुआ। मोटरसाईकिल के हैंडल में टंगा हुआ कपड़ा के थैला से 22 बोतल उसी तरह का शराब बरामद हुआ। जिसके संबंध में पूछने पर बताया कि यह शराब हम पुरनहिया तरफ से लेकर ग्राम कहतरबा में किसी राजीव नाम के व्यक्ति को देने जा रहे है। शराब को जप्त कर जप्ती सूची बनाया गया और जप्ती सूची की एक प्रति शंभु साह को दिया गया। शराब और अभियुक्त को थाना आ गये। घटना के संबंध में

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

लिखित आवेदन मैंने तैयार किया है। मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–7 अंकित किया जाता है। जप्ती सूची मेरे द्वारा तैयार किया गया है, मेरे लिखावट में है, इस पर मेरा हस्ताक्षर है, इसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–8 अंकित किया जाता है। लिखित आवेदन पृष्ठांकन प्रभारी थानाध्यक्ष दया शंकर साह के द्वारा किया गया, इसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–9 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी जिसे प्रदर्श–9/1 अंकित किया जाता है। घटना में जो जप्त की गई थी। उसका जॉच प्रतिवेदन का मॉग शिवहर डी.टी.ओ. से किया गया था। जिसका रिक्यूजीशन अनुसंधानकर्ता अलवेश्वर राम द्वारा तैयार किया गया था। उसी रिक्यूजीशन पर डी.टी.ओ. द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है और इस पर उनका हस्ताक्षर एवं मोहर लगा हुआ है। इसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–10 अंकित किया जाता है। जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, वह आज न्यायालय में उपस्थित है। उसको पहचानते है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि शिवहर थाना में 24 जनवरी 2016 से फरवरी 2018 तक थे। मैं थाना से प्रस्थान करने से पूर्व राईडर द्वारा स्टेशन डायरी में इंट्री किया गया था। स्टेशन डायरी को मैं न्यायालय में उपलब्ध नहीं करा सकते है। ड्यूटी में तैयार थे कि सूचना मिलते ही। चल दिये और 15–20 मिनट लगने के वाद घटनास्थल पर पहुँचे थे। मैने इस कांड का जप्ती सूची 06:30 मिनट शाम में तैयार किया गया था। मैनें इस कांड का जप्ती सूची बनाने के पूर्व किसी अन्य गाड़ी का तलाशी नहीं लिया था, क्योकि मुझे गाड़ी का नं0 पता था। उस समय मैं इन्ड्रायड मोबाईल का इस्तेमाल नहीं करते थे। आज करते है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस तथ्य को जान बूझकर छुपा रहा हूँ कि मेरे पास उस समय इन्ड्रायड मोबाईल नहीं था। मेरे पास बटन वाला मोबाईल था। जिस जगह पर मैने तलाशी लिया वह चौक से थोड़ा पहले था, पूर्व–पश्चिम सड़क है। दोनो तरफ खेत है। घटनास्थल पर तलाशी के समय कोई विडियोग्राफी नहीं किया था। उस समय मोटरसाईकिल का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिये जॉच नहीं करवाया था। इस बात का उल्लेख मैने लिखित आवेदन में नहीं किया कि गाड़ी का कागजात प्रस्तुत नहीं किया। जिस गाड़ी को जप्त किया गया था, उसका सत्यापन कराने पर पता चला कि जप्त गाड़ी शंभु शरण सिंह कटैया का है। मैने तलाशी से पहले दंड प्रकिया संहिता 100 का पालन किया था। ऐसी बात नहीं है कि मै इस तथ्य को जानबूझ कर लिखित आवेदन में जिन दो स्वतंत्र साक्षियों का उल्लेख किया है। वह विभागीय लोग है और मेरे ही थाने में पदस्थापित है। लोकल सिपाही था। चौक के आस–पास रहता था। मुझे इस बात की जानकारी है कि गलत सूचना देने पर सूचना देने वाले के विरूद्व भी मुकदमा हो सकता है। मैं अलग से कोई जॉच हेतु सैपंल को सील नहीं किया था, सब को एक साथ सील किया था। जप्त सामान पर थाना कांड संख्या लिखा था। जप्ती सूची मैने घटनास्थल पर ही बनाया। मैंने सभी जप्त शराब को झोला में सील किया था। उस पर कोई चिन्ह था कि नहीं मुझे याद नहीं है। आज से पहले मेरा ब्यान अनुसंधान के कम में घटना तिथि को लिया गया था। मैने सिर्फ प्राथिमिकी का समर्थन किया था। ऐसी बात नहीं है कि मैने घटना का विस्तृत विवरण आई0ओ0 को नही बताया था। ऐसी बात नहीं है कि जिस व्यक्ति को मैनें गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति का जप्त शराब से कोई लेना देना नहीं है

28/03/26

और न हीं उस गाड़ी से। बल्कि जप्त वाहन से कोई लेना देना नहीं था। अभियुक्त से पूछ ताछ किया और जबाब नहीं देने पर उभियुक्त को गलत तरीके से अभियुक्तीकरण कर दिया था।

09. **अभियोजन साक्षी संख्या–02 जयराम सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक–22.04.2017 को शिवहर में थाना में चौकीदार पद पर पदस्थापित थे। उस रोज ड्यूटी से समाप्त करने के पश्चात् थाना से वापस अपने घर जा रहे थे। रघुनाथ पासवान के साथ फतेहपुर चौक पर पहूँचे तो देखे की पुलिस की गाड़ी आ रही है। मैं भी साथ में चल दिया। देखे एक मोटरसाईकिल से एक आदमी जा रहा था। उस मोटरसाईकिल पर पुलिस का लेबल लगा था, पीछे से। उसको रोका गया। रोकने के बाद वहॉ और लोग जमा हो गये। मोटरसाईकिल और व्यक्ति का तलाशी लिया गया। मोटरसाईकिल के डिक्की से 300 एम.एल का 18 बोतल नेपाली शराब और झोला से 22 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम शम्भु साह बताया। सभी समान को जप्ती सूची बनाकर पदाधिकारी द्वारा वही पर मुदालह से हस्ताक्षर करा लिया गया। जप्ती सूची पर हस्ताक्षर है, जिसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, आज न्यायालय में उपस्थित है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मैं शिवहर थाने से घर के लिए 8 बजे से पहले चले थे शाम में समय नहीं बता सकते है। फतेहपुर चौक काफी व्यस्त चौक है, काफी लोगो का आना–जाना रहता है। एक रोड मुजफ्फरपुर तथा एक रोड मोतीहारी जाती है। चौक पर 10–20 की संख्या में दुकान है। जहॉ पर लोग मोटरसाईकिल, साईकिल लगाकर समान को खरीदते है। मोटरसाईकिल का नं0 नहीं बता सकते है। मै नहीं बता सकता हूँ कि मोटरसाईकिल किसका था। ऐसी बात नहीं है कि बरामद जप्त शराब मेरे सामने जप्त किया गया। जिस झोला से शराब बरामद हुआ था, उसका रंग नहीं बता सकते है। मोटरसाईकिल के डिक्की से शराब बरामद किया एवं हैण्डल में लगा झोला से शराब बरामद हुआ। डिक्की खोल के शराब निकाला गया। अभियुक्त शम्भु साह गृह रक्षक वाहिनी मे काम करते थे, इसलिए पूर्व से पहचानते है। जप्ती सूची तैयार करने समय चौक पर बहुत सारे लोग मौजूद थे मुझे कहा गया हस्ताक्षर करने के लिए वहॉ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया था। इससे पहले मेरा बयान पुलिस के समक्ष हुआ था। घटना के कल होकर थाना पर हुआ था। मेरे अलावा किसी और का बयान नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्थानीय चौकीदार हूँ तथा उसी थाने के पदाधिकारी इस कांड के सूचक भी है। जिनके मेल में एवं दबाब में आकर झूठी गवाही दिये है। जिस प्रकार की शराब की बरामदगी बतायी गई है। वैसी कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। मेरा बयान बिल्कुल गलत है।

28/08/18

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 रघुनाथ पासवान** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.04.2017 को शिवहर थाना में चौकीदार के पद पर थे। जप्ती सूची पर मैने हस्ताक्षर किया था। इस पहचानते है। जिसे प्रदर्श–2/2 अंकित किया जाता है। पुलिस द्वारा पुछताछ नहीं किया गया। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

पुलिस को इन्होने बयान दिया था और कहा था कि घटना के दिन वे उस समय पर चौकीदार जयराम सिंह के साथ घर जा रहे थे। जैसे ही फतेहपुर मठ के पास पहूँचे। पीछे से शिवहर पुलिस थाना की पुलिस तेजी से आई। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से भागना चाहा। उसे पुल के पास पकड़ लिया गया। हमलोग भी वहॉ दौड़कर पहुँचे। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम शंभू साह बताया। पकड़ाये गए व्यक्ति के मोटरसाईकिल की तलाशी लेने पर उसके डिक्की से 18 बोतल देशी शराब एवं मोटरसाईकिल में लटका हुआ झोला से 22 बोतल देशी शराब बरामद किया गया। बिनय कुमार के द्वारा पकड़ाये शराब के कागजात की मॉग की गई, तो नहीं दिखाया और पूछने पर बताया की कहतरवा के राजीव कुमार को देने जा रहे थे। पदाधिकारी द्वारा जप्ती सूची बनाया गया था। मैने स्वेच्छा से हस्ताक्षर बना दिया। पकड़ाये शराब और मोटरसाईकिल एवं व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी अपने साथ थाना ले गया।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि मैं और जयराम जो कागज पर हस्ताक्षर किया था, थाना में वह कागजात सादा था। हम और जयराम एक ही साथ थाना पर गये थे। मुदालह होमगार्ड में नौकरी करते है, इसलिये पहचानते है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–4 अलवेश्वर राम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते है कि दिनांक–22.04.2017 को शिवहर थाना में पदस्थापित था। शिवहर थाना कांड संख्या–59/17 का प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् इस कांड का अनुसंधानभार दया शंकर साह के द्वारा दिया गया। अनुसंधान भार ग्रहण करने के पश्चात् प्राथमिकी एवं जप्ती सूची का अध्ययन कर कांड दैनिकी मं अंकित किया। वादी का पुनः बयान लिया। अभियुक्त का सफाई बयान लिया। साक्षी जयराम सिंह, साक्षी रघुनाथ पासवान का बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल वादी विनय कुमार के द्वारा घटनास्थल बताया गया। जिसका निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल ग्राम फतेहपुर से मथुरापुर होते हुए नयागढ़ जानेवाली एन.एच. 104 है। जो फतेहपुर गढ़ से 300 गज पश्चिम भवड़िया एन.एच. 104 पर है। इसी जगह शराब और मोटरसाईकिल बरामद होने की बात बताई जाती है। उत्तर में राज नारायण सिंह का परती जमीन, दक्षिण में जयसन झा का परती जमीन और उसके दक्षिण में कृष्णनंद सिंह का पेड़ लगा बगीचा। पूर्व में एन.एच. 104 रोड जो फतेहपुर मढ़ तरफ जाती है और पश्चिम में रोड तथा उसके बगल में केला का पेड़ लगा। अभियुक्त को न्यायालय में अग्रसारित किया। वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण रिर्पोट प्राप्त किया। अभियुक्त शंभु साह के चल एवं अचल संपति का प्रतिवेदन प्राप्त किया। पकड़ाये वाहन के स्वामित्व का पता किया। गाड़ी मालिक का नाम शंभु शरण सिंह ग्राम–कटैया, थाना–पुरनहिया जिला शिवहर है। खिरोदन ठाकुर का बयान अंकित किया। जप्त प्रदर्श के जॉच हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर विधि प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर जमा कराया जिसका प्राप्ति रसीद कांड दैनिकी के साथ संलग्न किया है। यही वह प्राप्ति रसीद है, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा दिया गया था और इस पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर है। इसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–3 अंकित किया जाता है। फतेहपुर पी.ओ. पर जप्त गाड़ी में पुलिस का हैलोग्राम का सत्यापन किया। पता चला कि अभियुक्त होमगार्ड का जवान है। पुलिस चेंकिग कार्यवाई से बचने हेतु उक्त हैलोग्राम मोटरसाईकिल के नेम प्लेट पर लगाया था। गाड़ी स्वामी शंभु शरण सिंह से पता किया तो इन्होने बताया कि उक्त गाड़ी बी.आर.55 1862 चार साल पहले बेच चुके है। इस कांड में संकलित

28/03/26

साक्षियों एवं वरीय पदाधिकरी का आदेशानुसार घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त शंभु साह के विरूद्व धारा–30(ए), 38 आरोप पत्र संख्या 109/17 दिनांक–19.06.2017 समर्पित किया। परिवहन पदाधिकारी शिवहर के यहॉ जप्त गाड़ी के विवरण की जानकारी हेतु दिया गया। आवेदन मेरी लिखावट में है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर भी है, जो कार्बण प्रति में तैयार किया गया है। इसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–4 अंकित किया जाता है। इसी प्रतिवेदन पर डी.टी.ओ. शिवहर का रिपोर्ट दिया गया है। जिस पर डी.टी.ओ. का हस्ताक्षर है। जिसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–5 अंकित किया जाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रदर्श का जॉच हेतु न्यायालय में दिया गया आवेदन मेंरे द्वारा कार्बन प्रति में तैयार किया गया था। मेरी लिखावट में है, तथा मेरा हस्ताक्षर है। इस पर न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् हस्ताक्षर और सील लगा हुआ है। जिसे पहचानते है, जिसे प्रदर्श–6 अंकित किया जाता है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस कांड का अनुसंधान भार थाना में ग्रहण किये थे। जप्ती सूची बनाने के समय मैं उपस्थित नहीं था। जप्ती सूची देखने का मौका घटना के एक दिन बाद मिला। अनुसंधान के दौरान पु.अ.नि. विनय कुमार साक्षी जयराम सिंह, साक्षी रघुनाथ पासवान, खिरोधन ठाकुर का बयान लिया। इस मुकदमा का अनुसंधान सही सहीं किया था। प्राथमिकी में स्वतंत्र साक्षी के रूप में जयराम सिंह, राम अयोध्या सिंह, सा0–फतेहपुर, थाना व जिला–शिवहर लिखा हुआ है। जप्ति सूची में स्वतंत्र साक्षी के रूप में जयराम सिंह पे0–राम अयोध्या सिंह सा0–मथुरापुर थाना व जिला–शिवहर लिखा हुआ है। मथुरापुर और फतेहपुर दोनो ही गॉव है। गाड़ी के स्वामित्व के बारे में अनुसंधान के क्रम में पता किये और गाड़ी शंभु शरण सिंह के नाम से दर्ज है। गाड़ी का मालिक चार साल पहले ही वह बेच चुका था। गाड़ी और बिक्री का कागज अपने अनुसंधान के क्रम में अंकित नहीं किये है। अनुसंधान के दौड़ान गाड़ी के मालिक से पूछताछ किये थे। सरकारी आदमी है। अवकाश प्राप्त आदमी है। जप्त गाड़ी से आपत्तिजनक समान बरामद किया है। उस गाड़ी के ऑनर को अभियुक्त बनाया जा सकता है। मेरी ऑखो से कम दिखाई देता है। अभियुक्त का सफाई बयान लिये था। अभियुक्त को पहचान सकते है। अनुसंधान के क्रम में थाना से घटनास्थल जान में 10–20 मीनट का समय लगा बाईक से। घटनास्थल पर किसी से बातचीच करने का मौका नहीं मिला। घटनास्थल के चौहदी के लोगो से भी बातचीत नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है। क्योकि मैने गाड़ी के मालिक का अभियुक्तिकरण नहीं किया है।

28/08/18

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–01. हरि मोहन प्रसाद गुप्ता** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि शिवहर थाना कांड संख्या–59/17 में अभियोजन की मॉग पर मालखाना रजिस्टर एवं वस्तु प्रदर्श न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु थानाध्यक्ष शिवहर के लिखित चालान के साथ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। यह मालखाना पंजी शिवहर थाना का है। जिसके क्रम संख्या–18, एम. आर. नं0 15/16 पर शिवहर थाना कांड संख्या–59/17 का विवरण अंकित है। इसे पहचानते है। जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। विनिष्टीकरणर का एस.डी.ओ. नं0–645/17 दिनांक–22.04.2017 जो लाल कलम से लिखा गया है। यह वस्तु प्रदर्श उजले रंग के झोले में बॉध कर रखा गया है। जिसे न्यायालय के आदेश से खोला गया। झोला को फाड़ने के पश्चात् उसमें से चार बोतल निकला। चारो

बोतल सील बंद स्थिति में है और सभी पर 59/17 लिखा गया है, स्केच से और सभी बोतल पर शिवहर थाना कांड संख्या–59/17 का स्टीकर लगा हुआ है। जिसपर तीन बोतल पर न्यायिक दंडाधिकारी का हस्ताक्षर है, जो 23.04.2017 का है और दो बोतल पर विनिष्टीकरण में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी का लघु हस्ताक्षर है। विनिष्टीकरण के पश्चात् यही चार बोतल मालखाना में रखा गया है। जिसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी चार बोतल कंपनी द्वारा सील बंद है, एक साथ सेलो टेप में बाँधा हुआ है। जिसे प्रदर्श–एम, एम1, एम2 एवं एम3 अंकित किया जाता है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि– शिवहर थाना में 10.05.2018 से अभी वर्तमान तक है। शिवहर थाना के मालखाना रजिस्टर का अवलोकन का आज से पहले मौका नहीं मिला है। वस्तु प्रदर्श को मैं न्यायालय में लाया हूँ। उस वस्तु पर जो न्यायालय द्वारा कागजात चिपकाया गया है, वह कुछ फटा हुआ है एवं कुछ पूर्ण है। वस्तु प्रदर्श के सील पर जो स्टीकर चिपका हुआ है, किसी पर फटा हुआ एवं किसी पर पूर्ण है। यह बात सही है कि मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या–18 पर किसी पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। मालखाना पंजी के मूल पंजी पर तिथि 08.06.2016 अंकित है, तथा जो बिना मोहर का है। यह बात सही है कि मैं थानाध्यक्ष के आदेशानुसार वस्तु प्रदर्श एवं रजिस्टर प्रस्तुत किया हूँ। इसकी मुझे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है।

13. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत मामले में साक्षियों के साक्ष्य में कोई समानता नहीं है। कोई भी स्वतंत्र साक्षी का बयान नहीं लिया गया। जप्ती सूची के साक्षी उसी थाने में पदस्थापित चौकीदार है, इस तथ्य को सूचक की ओर से छिपाया गया है। घटनास्थल पर बरामद बाईक का स्वामी अन्य व्यक्ति है। कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अभियुक्त की घटना में संलिप्ता के संबंध में अभिलेख पर नहीं है। घटनास्थल पर कई व्यक्ति उपस्थित थे, किन्तु किसी का भी बयान नहीं लिया गया, न ही किसी को साक्षी बनाया गया। वस्तु प्रदर्श, पैंकिग, सील इत्यादि के संबंध में विधिक प्रकियाओं का अनुपालन नहीं किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित या साबित नहीं होते है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।

28/03/26

14. दूसरी तरफ अभियोजन की ओर से विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णरूप से सफल रहा है।

15. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में कुल चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 हरि मोहन प्रसाद गुप्ता, अभियोजन साक्षी संख्या–2 जयराम सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–3 रघुनाथ पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–4 अलवेश्र राय, अनुसंधानकर्ता एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 विनय कुमार सूचक है।

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

प्रस्तुत मामले में सूचक द्वारा दाखिल लिखित आवेदन के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक–22.04.2017 को समय 06:00 बजे सूचक जब थाने पर था, तो उसे गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त एक बाईक से शिवहर से फतेहपुर जा रहा है। उक्त सूचना पर सूचक अन्य पुलिस बल के साथ फतेहपुर चौक के पास पहुँचा एवं घेराबंदी कर अभियुक्त को रोका। उसने अपना नाम शंभू साह बताया एवं दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष तलाशी लेने पर उक्त बाईक के डिक्की से 300 एम.एल. का 18 बोतल तथा बाईक के हैण्डल से 22 बोतल शराब बरामद हुआ। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–5 विनय कुमार जो कि सूचक है, के मुख्य परीक्षण में किये गये कथन से विदित होता है कि दिनांक–22.04.2017 समय सांय 06:00 बजे यह थाना पर ओ.डी. डयूटी में थे एवं सूचना मिली कि एक बाईक सवार संदेहास्पद सामान लेकर जा रहा है। जिसे खोजबीन करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाईक के डिक्की से 18 बोतल एवं हैण्डल में टंगा 22 बोतल शराब बरामद हुआ। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि थाना से प्रस्थान के पूर्व स्टेशन डायरी में इंट्री किया गया था। किंतु उक्त स्टेशन डायरी को यह न्यायालय में उपलब्ध नहीं करा सकते है। इस साक्षी ने यह भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया की जप्ती सूची बनाने के पूर्व इनके द्वारा किसी अन्य गाड़ी का तलाशी नहीं लिया गया था, क्योकि इन्हे गाड़ी का नंबर पता था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उस समय बाईक का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिय जॉच नहीं करवाये थे तथा इस तथ्य का उल्लेख लिखित आवेदन में भी नहीं किया गया कि गाड़ी का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–14 में यह कथन किया है कि जप्त बाईक शंभू शरण सिंह कटैया का था तथा कंडिका–15 में कथन किया है कि मैने तलाशी से पूर्व द0प्र0सं0 की धारा–100 का अनुपालन किया था। कंडिका–16 में भी इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मैंने इस तथ्य को जानबूझकर लिखित आवेदन में जो दो स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख, वे विभागीय लोग है, जो मेरे थाने में पदस्थापित है। जो लोकल निवासी थे। चौक के आस–पास रहते है। जबकि अभियोजन साक्षी संख्या–2 एवं अभियोजन साक्षी सांख्या–3 जो कि जप्ती सूची के साक्षी है तथा शिवहर थाना में ही चौकीदार के पद पर पदस्थापित थे। जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–2 ने अपने मुख्य परिक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह घटना तिथि को शिवहर थाना में चौकीदार के पद पर पदस्थापित था। इसी कथन की पुष्टि अभियोजन साक्षी संख्या–3 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किया गया कि वह भी शिवहर थाना में चौकीदार के पद पर पदस्थापित था। यघपि अभियोजन द्वारा कुछ बिंदुओं पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। सूचक अभियोजन साक्षी संख्या–5 का यह कथन कि दोनों जप्ती सूची के साक्षी स्वतंत्र साक्षी हैं, तथा लिखित आवेदन में भी सूचक द्वारा यही तथ्य अंकित किया गया है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 का पता लिखित आवेदन में भिन्न तथा अभियोजन साक्षी संख्या–2 के गवाही में भिन्न अंकित है। लिखित आवेदन एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 जो कि सूचक है, के साक्ष्य में यह कहीं भी अंकित नही है कि कितने बजे सूचक पुलिस बल के साथ थाना से निकले तथा कितने बजे घटनास्थल पर पहूँचे। इसी प्रकार एक ही थाना के चौकीदार एवं पदस्थापित पदाधिकारी एक ही समय पर घटनास्थल पर पहूँचते है। क्या यह एक संयोग है, वह भी उस अवस्था में जब उसी थाने का चौकीदार को लिखित आवेदन में स्वतंत्र साक्षी बनाया गया हो तथा सूचक द्वारा न्यायालय के समक्ष उन्हे स्वतंत्र साक्षी के रूप

28/03/26

न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–59/2017
शिवहर थाना कांड संख्या–59/2017
सरकार बनाम् शंभू साह

में स्वीकार किया गया हो। चूँकि एक ही थाना में पदस्थापित है, एवं उनके विषय में जानकारी नहीं हैं। यह तथ्य विश्वसनीय प्रतित नहीं होता है। जबकि अभियोजन साक्षी संख्या– 2 नें अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर बहुत लोग थे, किन्तु अभियोजन साक्षी संख्या–2 से ही जप्ती सूची पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। जबकि किसी अन्य से हस्ताक्षर कराने के लिए नहीं कहा गया। इसी साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चौक पर काफी लोगो का आना–जाना रहता है, एवं 10–20 की संख्या में वहॉ दुकान भी है, जहॉ पर लोग बाईक लगा कर सामान इत्यादि की खरीददारी करते हैं। चूँकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या–2, पी0डब्ल्यू0–3, पी0डब्ल्यू0–5 ही घटनास्थल पर उपस्थित थे। अर्थात् एक ही थाने का पुलिस पदाधिकारी जो कि सूचक है एवं उसी थाने में पदस्थापित चौकीदार जो कि जप्ती सूची के साक्षी है एवं उसमें भी अभियोजन साक्षी संख्या–2 को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कराया गया। ऐसी परिस्थिति में सूचक एवं एक अन्य जप्ती सूची के साक्षी जिनके कथनो में पूर्ण विरोधाभास प्रतित होता है, एवं इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पक्षपात की कोई संभावना नहीं होगी। शेष दो साक्षी में अभियोजन साक्षी संख्या–1 औपचारिक साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्र्या–4 जो कि अनुसंधानकर्ता है, के साक्ष्य के अवलोकन से यह विदित होता है कि इन्होने भी जप्ती सूची के साक्षियों को स्वतंत्र साक्षी माना है। इनके द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्सा तैयार नहीं किया गया था। इन्होने अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर किसी से बात करने का अवसर नहीं मिला था। बरामद बाईक का स्वामी कोई शंभु शरण निवासी कटैया के है। जिसके विरूद्व अनुसंधानकर्ता का कथन है कि वे बाईक का बिक्री कर दिये है। परंतु डी0टी0ओ0 के प्रतिवेदन जो की प्रदर्श–10 है, से स्पष्ट होता है कि उक्त बरामद बाईक का पंजीकरण शंभू शरण सिंह के नाम से दर्ज है। अनुसंधानकर्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त बाईक के बिक्री से संबंधित दस्तावेजो को अनुसंधान के क्रम में अंकित नहीं किया गया है। शंभू शरण सिंह का न तो कोई बयान अंकित किया गया है। अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि जप्त प्रदर्श में से कितनी मात्रा जॉच हेतु प्रेषित किया गया।

प्रस्तुत मामले में सूचक के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि द0प्र0सं0 की धारा–100 का अनुपालन किया गया है, किन्तु सूचक के साक्ष्य के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस धारा मे वर्णित प्रकियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। लिखित आवेदन में जप्त वस्तु के पैकिंग, सील के संबंध में कोई भी तथ्य वर्णित नहीं हैं। सूचक अभियोजन साक्षी संख्या–5 के मुख्य परीक्षण में दिये गये साक्ष्य में भी कोई कथन नहीं किया गया है। यघपि प्रतिपरीक्षण में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि मैने अलग से कोई जॉच हेतु सैपंल सील नहीं किया था। सबको एक साथ सील किया था। अभियोजन साक्षी संख्या–1 जो कि औपचारिक साक्षी है ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि वस्तु प्रदर्श पर जो स्टीकर चिपका हुआ था। किसी पर फटा था, किसी पर पूर्ण था, तथा मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या–18 पर किसी भी पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है एवं उक्त रजिस्टर के मूल पंजी पर तिथि 08.06.2016 अंकित है। जिसपर कोई मोहर भी नहीं लगा है। जबकि प्रस्तुत घटना दिनांक–25.04.2017 की है। जबकि सील एवं पैकिंग के बिंदु पर माननीय

28/03/18

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वस्तु प्रदर्श को सील किया जाना अनिवार्य हैं। जबकि प्रस्तुत मामले में इसका पूर्ण अभाव है। अन्य साक्षियों द्वारा भी इस तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुत मामले में सूचक एवं अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन में पूर्ण अतंर विरोध प्रतीत होता है। जिससे अभियोजन साक्षियो की विश्वसनीयता संदेह की परिधि में आती है। उक्त संदेहों को दूर करने हेतू कोई भी स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। कोई स्वतंत्र साक्षी भी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। मात्र अवैध शराब से संबंधित जॉच रिर्पोट, विनिष्टीकरण प्रतिवेदन का सकारात्मक परिणाम स्वयं में पर्याप्त नहीं होता है कि जबतक कि अभियुक्त के साथ उसका प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष कब्जा या संबंध के विषय में स्पष्ट, विश्वसनीय एवं सुसंगत साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न किया जाए। जप्त बाईक से अभियुक्त का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध भी स्थापित नहीं होता है। जप्त प्रदर्श की पैंकिग एवं सील के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने वाद को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। तद्नुसार, आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

17. उपरोक्त नामित अभियुक्त शंभु साह को न्यायालय के द्वारा धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें उनके बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

18. निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्विकृत

(बृजेश मणि त्रिपाठी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,
शिवहर।
दिनांक–28.03.2026.

28/03/26

(बृजेश मणि त्रिपाठी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,
शिवहर।
दिनांक–28.03.2026.